# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

**(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)**

**प्रकरण संख्या – 54/2018 अपील**

| | | |
|---|---|---|
| 1. श्री तेजू पुत्र उंकार गुर्जर निवासी देवपुरा तहसील आसीन्द | बनाम | 1. बालु पुत्र देवा गुर्जर निवासी देवपुरा<br>2. डाली पुत्री देवा गुर्जर निवासी देवपुरा<br>3. पारसी पुत्री देवा गुर्जर निवासी लादुवास तहसील माण्डल<br>4. मेमा पुत्री देवा गुर्जर निवासी मु. बहादुरपुरा<br>5. माया पुत्री देवा गुर्जर नाबा. जरिये बबिलायत माता श्रीमती लेहरी देवी पत्नी देवा गुर्जर निवासी देवपुरा<br>6. श्रीमती लेहरी देवी पत्नी देवा गुर्जर निवासी देवपुरा<br>7. भैरू पुत्र खमाण गुर्जर निवासी देवपुरा<br>8. काना पुत्र खमाण गुर्जर निवासी देवपुरा<br>9. श्रीमती चान्दी पुत्री खमाण गुर्जर निवासी करणगढ<br>10. बरदी पुत्री खमाण गुर्जर निवासी बैरण तहसील आसीन्द<br>11. श्रीमती सरजू देवी पत्नी खमाण गुर्जर निवासी देवपुरा<br>12. मांगू पुत्र प्रताप गुर्जर निवासी देवपुरा<br>13. रामा पुत्र प्रताप गुर्जर निवासी देवपुरा<br>14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द |
| –अपीलार्थी | | – विपक्षीगण |

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण सं. 34 दिनांक 18.12.2004 तहसीलदार आसीन्द**

उपस्थित –

1. श्री संजय सेन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

## निर्णय

दिनांक 28.08.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक उंकार की विरासत का इन्तकाल उंकार को लाऔलाद फौत बताते हुए विधि विरूद्व तरीके से अपीलार्थी के साथ – साथ विपक्षीगण देवा, भैरू, काना पिता खुमाण, चांदी, बरदी पुत्री खुमाण सरजू बाई बेवा खुमाण मांगू, रामा पिता प्रताप के नाम पर खोलने से उक्त नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य

हैं। ग्राम देवपुरा पटवार हल्का मालासेरी तहसील आसीन्द की आराजी सं. 178,179, 180, 181,182,193,210,211,213,220,221,222,223,224,225,226,228,372,373,374,376,179,377 कुल किता 23 रकबा 5.62 हैक्ट. भूमि जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 तक के खातेदार उंकार पिता भीया 1/3, देवा भैरू तेजू काना पिता खुमाण, चांदी बरदी पुत्री खुमाण सरजू बाई बेवा खुमाण 1/3 मांगू रामा पिता प्रताप 1/3 गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड था, जिसमें उंकार के देहान्त के पश्चात् गलत तौर उनके हक हिस्से की कृषि भूमि अपीलार्थी के साथ साथ प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 13 उंकार के वारिस नही होकर केवल अपीलार्थी ही मृतक उंकार का वारिस हैं। खातेदार उंकार पिता भिया के जायन्दा पुत्र व पुत्री नही होने से अपीलार्थी को सामाजिक रश्म रिवाज अनुसार बचपन में ही गोदपुत्र रख लिया एवं अपीलार्थी बतौर गोदपुत्र उंकार के साथ ही निवासरत होकर उनकी समस्त सम्पदाओं पर बतौर गोदपुत्र काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उंकार ने अपने जीवनकाल में दिनांक 17.02.1996 को गोदनामा उप पंजीयक, आसीन्द के समक्ष उपस्थित होकर पंजीकृत करवाया। उंकार की मृत्यु दिनांक 15.07.2000 के पश्चात् विरासत से उनकी समस्त आराजियात का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज होना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि विरूद्व तरीके से नामान्तरकरण पारित कर दिया गया जो निरस्त होने योग्य हैं। प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक 12.03.2018 को उक्त वादग्रस्त आराजियात पर आकर दखलंदाजी करने लगे, तब अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुयी। दिनांक 15.03.2018 को नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर अवधि पेश हैं। विलम्बित अवधि को कण्डोन कराने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार आसीन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 34 दिनांक 18.12.2014 को अपास्त किया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 10.04.2018 को पंजीकृत करते हुये विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ न्यायाल तहसीलदार आसीन्द से रिकार्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण सं. 01 से लगायत 13 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण में गुणावगुण से निर्णय पारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी ।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम देवपुरा पटवार हल्का मालासेरी तहसील आसीन्द की आराजी सं. 178,179,180,181,182,193,210,211,213,220,221,222,223,224,225,226,228,372,373,374,376, 179,377 कुल किता 23 रकबा 5.62 हैक्ट. भूमि जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 तक के खातेदार उंकार पिता भीया 1/3, देवा भैरू तेजू काना पिता खुमाण, चांदी बरदी पुत्री खुमाण सरजू बाई बेवा खुमाण 1/3 मांगू रामा पिता प्रताप 1/3 गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड था, जिसमें उंकार के देहान्त के पश्चात् गलत तौर उनके हक हिस्से की कृषि भूमि अपीलार्थी के साथ साथ प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 13 उंकार के वारिस नही होकर केवल अपीलार्थी ही मृतक उंकार का वारिस हैं। खातेदार उंकार पिता भिया के जायन्दा पुत्र व पुत्री नही होने से अपीलार्थी को सामाजिक रश्म रिवाज अनुसार बचपन में ही गोदपुत्र रख लिया एवं अपीलार्थी बतौर गोदपुत्र उंकार के साथ ही निवासरत होकर उनकी समस्त सम्पदाओं पर बतौर गोदपुत्र काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उंकार ने अपने जीवनकाल में दिनांक 17.02.1996 को गोदनामा उप पंजीयक, आसीन्द के समक्ष उपस्थित होकर पंजीकृत करवाया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

उंकार की मृत्यु दिनांक 15.07.2000 के पश्चात् विरासत से उनकी समस्त आराजियात का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज होना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि विरूद्व तरीके से नामान्तरकरण पारित कर दिया गया जो निरस्त होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार आसीन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 34 दिनांक 18.12.2014 को अपास्त किया जावे।

अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि ग्राम देवपुरा पटवार हल्का मालासेरी तहसील आसीन्द की आराजी सं. 178,179,180,181,182,193,210,211, 213, 220,221,222,223,224,225,226,228,372,373,374,376,179, 377 कुल किता 23 रकबा 5.62 हैक्ट. भूमि जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 तक के खातेदार उंकार पिता भीया 1/3, देवा भैरू तेजू काना पिता खुमाण, चांदी बरदी पुत्री खुमाण सरजू बाई बेवा खुमाण 1/3 मांगू रामा पिता प्रताप 1/3 गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड था। उंकार ने अपने जीवनकाल में दिनांक 17.02.1996 को गोदनामा उप पंजीयक, आसीन्द के समक्ष उपस्थित होकर पंजीकृत करवाया जो दिनांक 19.02.1996 को उप पंजीयक आसीन्द के यहां पंजीबद्ध किया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द द्वारा उक्त आराजियात का नामान्तरकरण दिनांक 18.12.2014 को स्वीकृत किया गया जिसमें अपीलार्थी के उक्त पंजीबद्ध गोदनामें के बारे में कोई अंकन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने गोदनामें एवं वारिसान की पूर्ण जांच किये बिना उक्त नामान्तरकरण सं. 34 स्वीकृत कर दिया गया। नामान्तरकरण 34 दिनांक 18.12.2014 में वारिसान एवं पंजीबद्ध गोदनामें को मध्येनजर रखते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द को रिमाण्ड किया जाना युक्ति युक्त प्रतीत हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

## आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आंशिक स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार आसीन्द के नामान्तरकरण सं. 34 निर्णय दिनांक 18.12.2014 को अपास्त किया जाता हैं एवं प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार आसीन्द को निर्देश दिये जाते हैं कि नामान्तरकरण 34 में खातेदार उंकार की लाऔलाद फौत होने से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 19.02.1996 की फोटोप्रति अनुसार अपीलाण्ट से मूल प्रति तलब कर उक्त गोदनामें मध्येनजर रखते हुए पुनः जांच एवं सुनवाई की जाकर नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आसीन्द को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा